Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों राहुल पुत्र राजेश व राहुल पुत्र सुभाष प्रत्येक को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र राजेश व राहुल पुत्र सुभाष निवासीगण पट्टी मुण्डाला कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत के विरूद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 75/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 09.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों राहुल पुत्र राजेश व राहुल पुत्र सुभाष प्रत्येक को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 09.10.2024**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 10000 रुपये की इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2019 को थाना बिनौली पर वादी रासिद पुत्र हसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मतीन (पति) पुत्र महबूब, 2.महबूब (ससुर), 3.सलीम (देवर) उर्फ घोल्लू, 4.शहजाद (देवर) पुत्रगण महबूब व 03 महिला निवासीगण ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए तीन लाख रूपये की माँग की गयी तथा माँग पूरी न करने पर तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बहन बुरी तरह से झुलस गई तथा गम्भीर हालत में मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/307 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

नोट- उक्त अभियोग में पीडिता की उपचार के दौरान दिनांक 04.06.2019 को मृत्यु होने के कारण धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 304बी भादवि की वृद्धि की गई तथा थाना बिनौली पुलिस द्वारा पूर्व में ही 03 अभियुक्तों सहित 03 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 10000 रुपये की ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियुक्त 05 साल से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम उर्फ भोलू पुत्र महबूब निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत

2- मु0अ0सं0 367/19 धारा 174ए भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-है0का0 681 दीपक कुमार सर्विलांस सैल जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 09.10.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-संजय पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम नयागाँव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-रोहित पुत्र सुरेश निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार मय टीम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री नकुल राठी मय टीम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक 09.10.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सतेन्द्र पुत्र बारू निवासी मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.तेजपाल पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम अहमद नगर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. है0का0 377 सुरेन्द्र पाल थाना खेकडा जनपद बागपत।

4.का0 789 योगेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत।

5.का0 690 अभिषेक थाना खेकडा जनपद बागपत।